

केस संख्या

173/2022 (बाले)

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.8.22	तहसीलदार चारुधर ने नवीन रास्ते राजस्व रिवाइज में दर्ज करने वसूल राजस्व, विभागीय (ग्रुप-6) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र प-3(2) राजस्थान-6/2003 पट्टि के परिपत्र दिनांक 10.8.16 के तहत भिन्नवाये गैरे हैं; प्रकाश दर्ज राजस्व किया जाकर अग्रधीर्गणों के जैरे नोडिड तलक कर पत्रावली दिनांक 29.8.22 के पेश हो। इसने 3 उपखण्ड अधिकारी जयपुर (जयपुर)	नोडिडकारी 5184-5192 22/8/22
	29.8.22	पत्रावली पेश हुई परकार क्लीक उप ही अग्रधीर्गण की तलकी होना अग्रह है इन्तजार तलकी दिनांक 13.9.22 को पेश हो। इसने 3 उपखण्ड अधिकारी जयपुर (जयपुर)	
	13/9/22	पत्रावली पेश हुई पेशीकार सरकार उप. है तहसील से अपाधीर्गण की तलकी प्राप्त नहीं हुई है न ही कोई अपाधीर्गण दाखीर काए। तहसीलदार उरा सार्वजनिक उपयोग हेतु रास्ता प्रस्तावित किया है जो सार्वजनिक ठाने-पाने में उपयोग लिया जावेगा। जिते राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10/8/16 के अनुसार स्वीकृत किया जाक उचित समसने है अतः तहसीलदार उरा प्रस्तावित रास्ते हेतु जा. पत्र को स्वीकार किया जाता है। निर्वाच्य पृथक ले लिया जाकर संलग्न, निर्वाच्य की पालन हेतु तहसीलदार को लिया जावे पत्रावली वाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। इसने 3 उपखण्ड अधिकारी जयपुर (जयपुर)	

उपखण्ड, जयपुर (जयपुर)

